UPBN010015362026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी० (पी.ए.) एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–502/2026

मुन्नालाल व अन्य बनाम **राज्य** ।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–310/2026
धारा–76, 115(2), 352, 351(2) BNS व
धारा–3(2)Va, 3(1) द, ध. एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना– दातागंज, जिला– बदायूँ।

दिनांकः 01–04–2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण मुन्नालाल, गेंदनलाल, बलवन्त, रिंकू व मोरपाल की ओर से विशेष सत्र परीक्षण सं०–310/2026 धारा– 76, 115(2), 352, 351(2), BNS व धारा– 3(2)Va, 3(1)द.ध. एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–दातागंज, जिला–बदायूँ में इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण को गांव की रंजिश व पार्टीबंदी की बिना पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निहायत शरीफ अमन पसन्द इज्ज़तदार अपने अपने घर के भले आदमी हैं। प्रार्थीगण पूर्व दोषी या सजायाप्ता नहीं हैं और न ही प्रार्थीगण का आपराधिक इतिहास है। प्रार्थीगण के द्वारा घटना कारित करने का कोई कारण नहीं है औऱ न ही तथाकथित घटना का जनता का कोई साक्षी है। घटना वादिनी के अनुसार दो दिनों की प्रथक प्रथक दर्शायी गयी है लिहाजा घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। तथाकथित घटना घटित नहीं हुयी यदि होती तो डाक्टरी मुआयना पत्रावली पर उपलब्ध होता। परिवादिनी काफी हेकड़ व 420 किस्म की महिला है जिसने अपने परिवादपत्र में प्रार्थीगण को उच्च जाति का होना दर्शित किया है जबकि प्रार्थीगण पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। प्रार्थीगण के भागने व गवाहान सबूत से साज करने का कोई भय नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मामला गम्भीर प्रकृति का है तथा महिला के विरूद्ध अपराध है। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो वह न्यायालय उपस्थित नहीं आयेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व परिवादी के विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना एवं अवलोकन किया।

Digitally signed by RAJ VEER SINGH
Date: 2026.04.01 15:14:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानंक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी मुकदमा द्वारा चोरी की तहरीर थाने में देने की रंजिश को लेकर जाति सूचक शब्दों साली धुबनियाँ का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर मारपीट की, कपड़े फाड़कर लज्जा भंग करने एवं जान से मारने की धमकी दी। विशेष अधिनियम के अपराध को छोड़कर शेष सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं तथा 07 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्तगण आज तक के लिए अन्तरिम जमानत पर थे। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई०** के मामले में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण **मुन्नालाल, गेंदनलाल, बलवन्त, रिंकू व मोरपाल** का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन पचास–पचास हजार रूपये के **दो** जमानती एवं समान धनराशि के व्यक्तिगत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–01–04–2026

(राजवीर सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.(पी.ए) एक्ट, बदायूँ।